

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5159

सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विदेशी यात्रियों की सुरक्षा

†5159. श्री बी.बी. पाटील:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा देश में विदेशी पर्यटकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं;
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कितने विदेशी पर्यटक आये; और
- (ग) उक्त अवधि के दौरान विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार के कितने मामले सामने आये और उन पर क्या कार्रवाई की गयी?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' और पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा सहित अपराध की रोकथाम राज्य का विषय हैं। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने अपने प्रयासों से देश में विदेशी पर्यटकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और सिक्किम ने पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

(ii) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिक पर्यटक आगमन वाले महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पुलिस कर्मियों सहित समर्पित कॉल सेंटर स्थापित करने के उद्देश्य से एक सदस्य के रूप में पर्यटन मंत्रालय के साथ एक समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटक पुलिस की मुख्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिवों/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र भी लिखा है।

(iii) पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए फरवरी 2016 में, हिंदी और

अंग्रेजी तथा 10 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में एक टोल फ्री नंबर 1800111363 या शॉर्ट कोड 1363 पर 24x7 बहुभाषी पर्यटक सूचना-हेल्पलाइन शुरू की है। यह भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान करने के लिए और भारत में यात्रा करते समय किसी भी संकट के समय में पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।

(iv) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता को अपनाया है जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे मूल अधिकार के सम्बन्ध में की जाने वाली पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक समूह है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए)
2019	1,09,30,355
2020	27,44,766
2021 @	14,12,129

@: अनंतिम स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो

(ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, (एनसीआरबी) शीर्ष-वार दर्ज मामले, आरोप-पत्र, दोषी मामले, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, आरोप-पत्रित व्यक्ति और विदेशियों के खिलाफ अपराध के तहत दोषी व्यक्तियों के रिकॉर्ड रखता है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों की एनसीआरबी के पास कोई सूचना नहीं है।
